

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर
राजस्व अपील संख्या 25/2006

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० भारत सरकार का उपक्रम, एल.पी.जी.संयंत्र गांव
दिलवाडी-गादेरी, नसीराबाद, जिला- अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर
2. संग्राम सिंह शेखावत पुत्र श्री सवाई सिंह शेखावत, हाल निवासी ब्यावर रोड,
बान्दनवाडा जिला-अजमेर।

..... रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री नौरतमल जैन

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

श्री शुभकरणसिंह चौधरी

राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक :-30.05.2017

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गादेरी द्वारा धारा 90 ए के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार नसीराबाद द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 11.08.2006 के द्वारा मौजा गादेरी के खसरा नं० 608 मिन कुल रकबा 4 बिस्वा में से 88.88 वर्ग गज भूमि पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए में कार्यवाही करते हुए बेदखली एवं शास्ति आरोपित किये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील जिला कलक्टर अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो बाद सुनवाई अपील अपीलान्ट खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाने का आदेश दिनांक 08.08.2008 को पारित किया गया। अपीलान्ट द्वारा इस आदेश की द्वितीय अपील राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 29.01.2009 के द्वारा खारिज की गई। इस आदेश की निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में की गई जो स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण जिला कलक्टर अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे कम्पनी के मैनेजर स्तर के अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी की मौजूदगी में आधुनिक तकनीक के द्वारा मौके पर नाप जोख कराकर कम्पनी के नाम दर्ज/अवार्ड शुदा आराजी खसरा नं० 608 मिन रकबा 04-17-10 बीघा का सीमा ज्ञान करावें। तत्पश्चात उभय पक्ष को सुनकर प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करें। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार सक्षम अधिकारी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को अपने मैनेजर स्तर के अधिकारी को नियुक्त कर निर्देशानुसार पालना हेतु उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद से सम्पर्क करने हेतु लिखा गया। प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद से कार्यवाही रिपोर्ट तलब की जाकर प्रकरण वास्ते सुनवाई नियत किया गया। दौरान सुनवाई अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित नहीं आये। उपस्थित की बहस अपील सुनी गई।

अपीलान्ट के मुख्यतः अपील कथन है कि अपीलार्थी एक भारत सरकार का उपक्रम है। और उसके द्वारा ग्राम गादेरी, तहसील नसीराबाद में एल पी जी पलान्ट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अवाप्त शुदा भूमि का कब्जा राजस्व विभाग द्वारा सुपुर्द किया गया था। रेस्पोंडेन्ट-2 की प्रश्नगत आराजी बाबत कोई विधिक अधिकारिता नहीं होने के बावजूद वादग्रस्त आराजी पर अनाधिकृत निर्माण कर बोटलिंग पलान्ट स्थापित करने की उनके शिकायत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध 90 ए



0/30/09/17
जिला कलक्टर
अजमेर

बावजूद वादग्रस्त आराजी पर अनाधिकृत निर्माण कर बोटलिंग पलान्ट स्थापित करने की उनकी शिकायत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध 90 ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया है, जो स्व० विवेक पर आधारित नहीं होकर पराधीन है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी द्वारा दिये गये बयानों पर भी गौर नहीं किया गया पटवारी हल्का द्वारा अपने बयानों में अपीलार्थी का बोटलिंग पलान्ट चार दीवारी में स्थित होना स्वीकार किया गया है। इससे पूर्णतया स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि अपीलार्थी को अवाप्त शुदा भूमि का कब्जा राजस्व विभाग द्वारा जहाँ दिया गया था उस पर ही उक्त गैस पलान्ट प्रारम्भ से ही स्थापित है। प्रत्यथी सं० 02 के पक्ष में स्वामित्व सम्बन्धी कोई पंजीकृत दस्तावेज नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.8.2006 पूर्ण रूप से अवैध, तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थी की प्रश्नगत आराजी की बिना पैमाईश किये ही धारा 90 ए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर अनाधिकृत रूप से प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

अप्रार्थी सं० 2 के अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि अवाप्त शुदा भूमि नहीं है। अपीलान्ट द्वारा गैर कानूनी तौर से कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन के निर्माण कार्य किया है। पत्रावली पर उपलब्ध अवार्ड आदेश के अनुसार खाता संख्या 190 की रकबा 4-17-10 बीघा भूमि अवाप्त की गई हैं। खाता संख्या 307 के खसरा नं० 608 की प्रश्नगत 04 बिस्वा भूमि अवाप्त शुदा नहीं होकर कृषि भूमि है। लिहाजा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 90 ए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि ग्राम गादेरी के खसरा नं० 608 मिन रकबा 4-17-00 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड के अनुसार वर्तमान में एच.पी.सी.एल के नाम दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 12.5.2010 के अनुसार उक्त रकबे का सीमा ज्ञान आधुनिक तकनीक की टोटल स्टेशन मशीन द्वारा किये जाने पर खसरा नं० 608 मिन का क्षेत्रफल 4-17-10 पाया गया। इसी खसरा की विवादित शेष भूमि क्षेत्रफल 4 बिस्वा मौके पर एच.पी.सी.एल. की चार दीवारी के बाहर पाई गई।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.5.2010 के मुताबिक प्रश्नगत खसरान के रकबे का सीमा ज्ञान आधुनिक तकनीक की टोटल स्टेशन मशीन द्वारा किये जाने पर खसरा नं० 608 मिन का क्षेत्रफल 4-17-10 पाया गया तथा इसी खसरा की विवादित शेष भूमि क्षेत्रफल 4 बिस्वा मौके पर एच.पी.सी.एल. की चार दीवारी के बाहर पाई गई। अतः अपील स्वीकार कर तहसीलदार नसीराबाद का धारा 90 ए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पारित प्रश्नगत आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार नसीराबाद को इन निर्देशों के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.05.2010 को दृष्टिगत रखते हुए सभी पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, गुणावगुण पर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश तीन माह में पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.05.2017 को सरे इलास सुनाया गया।



(गौरव गौयल)
जिला कलेक्टर,
अजमेर